भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2225

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएचएम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

2225. डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों को 108 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा और जननी एक्सप्रेस गाड़ियों के संचालन और अनुरक्षण के लिए दी जाने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि सीधी ज़िले में एम्बुलेंस प्रतिक्रिया समय बहुत अधिक है और गाड़ियाँ खराब होने के कारण गर्भवती महिलाएँ और गंभीर रूप से बीमार रोगी बहुधा समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई नई एम्बुलेंस और एडवांस्ड लाइफ़ सपोर्ट

(एएलएस) एम्बुलेंस की कुल संख्या कितनी है;

(घ) ज़िले में ठीक से काम कर रही ऐसी गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को बकाया भुगतान समय पर किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): "जन स्वास्थ्य" और "अस्पताल" राज्य के विषय हैं, इसलिए विशेष रूप से आपातकालीन देखभाल नेटवर्क के लिए पर्याप्त रूप से उपकरणों से लैस एम्बुलेंस सहित जन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

हालांकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के

रूप में उनसे प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें डायल 108, डायल 102/104, बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) और एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस के लिए प्रावधान शामिल है और अनुमोदन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यवाही अभिलेख(आरओपी) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। डायल 108 मुख्यतः एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है, जिसे मुख्य रूप से गहन परिचर्या वाले रोगियों, ट्रॉमा और दुर्घटना से पीड़ितों आदि की देखभाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। आरओपी को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744.

(ख) से (ड़): मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीधी जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा का औसत प्रतिक्रिया समय ग्रामीण क्षेत्रों में 19 मिनट 51 सेकंड और शहरी क्षेत्रों में 18 मिनट 17 सेकंड है। इसी प्रकार, जननी का औसत प्रतिक्रिया समय ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 15 मिनट 33 सेकंड और शहरी क्षेत्रों में 13 मिनट 50 सेकंड है। ये परिचालन समय-सीमाएँ भारत सरकार (एनएएस) द्वारा निर्धारित सेवा डिलीवरी मानकों के अनुरूप हैं।

राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों में सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई नई बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) या एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस स्वीकृत नहीं की गई है। जिले का मौजूदा बेड़ा बिना किसी यांत्रिक या लॉजिस्टिक व्यवधानों के साथ पूरी तरह से परिचालनरत है। सक्रिय तैनाती में 17 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस, 03 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस और 19 जननी एक्सप्रेस (रोगी परिवहन वाहन) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने सूचित किया है कि राज्य स्तर पर कोई बकाया देनदारियाँ या विक्रेता भुगतान लंबित नहीं हैं। राज्य वैध चालान प्राप्त होते ही सभी वित्तीय निपटानों को व्यवस्थित रूप से तुरंत निष्पादित करता है।
